तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स, जज अपील 85 / 2022 बउनवान शेराराम वगै. बनाम पुनमाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.08.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण हाजा न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अदालत को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचित किये बिना ही दावे को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे। अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। अपीलांटगण को मातहत अदालत में जो अनुतोष प्राप्त हो सकती है उसके विरूद्ध अपील किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कानून में नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद को पुनः बरामद करने हेतु आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।	